


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
17 बिन्दु की जानकारी अन्तर्गत धारा 4 ब

प्रथम अपीलीय अधिकारी :- कलेक्टर, सिवनी।
लोक सूचना अधिकारी :- श्री सुमन कुमार मिश्रा, जिला आपूर्ति अधिकारी।
सहायक लोक सूचना अधिकारी :- श्री एस0 के0 तिवारी,
सहायक आपूर्ति अधिकारी, सिवनी।

बिन्दु क्रमांक 1 जिला आपूर्ति अधिकारी का संगठनात्मक ढांचा :-

जिला आपूर्ति अधिकारी,
(लोक सूचना अधिकारी)
!



बिन्दु क्रमांक-2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य तथा शक्तियाँ प्रशासनिक ढांचा

- 1- जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (शक्तियाँ) :-**
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केन्द्रीय शासन/राज्य शासन द्वारा बनाये गये विभिन्न नियंत्रण आदेशों में शक्तियाँ निहित हैं। जिसका पालन कराया जाना विभाग के अधिकारियों का मूल कर्तव्य है।
- 2- वित्तीय अधिकार :-**
म0प्र0 कोष संहिता एवं वित्त विभाग द्वारा बनाये गये नियम एवं निर्देशों के तहत जिला आपूर्ति अधिकारी सिवनी को आहरण संवितरण के अधिकार प्राप्त हैं। तदनुसार वित्तीय कार्य संपन्न किये जाते हैं।
- 3- अन्य :-**
कलेक्टर/उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का पालन किया जाता है।
- 4- कर्तव्य :-**
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उसके अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य शासन द्वारा जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन कराया जाना।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मुख्य दायित्व समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएँ जैसे :-शक्कर, गेहूँ, चावल, मिट्टीतेल, कुकिंग गैस डीज़ल/पेट्रोल की आपूर्ति नियमित बनाये रखने के लिये नियम निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाती है।

बिन्दु क्रमांक-3 :-

कृत्यों का निर्वहन हेतु नियम/विनियम/अनुदेश /निर्देशिका और अभिलेख :-

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केन्द्रीय म0प्र0 शासन द्वारा दिये गये विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत प्रचलित नियंत्रण आदेशों की सूची निम्नानुसार है :-

(अ) केन्द्रीय शासन के नियंत्रण आदेश :-

- (1) पी0डी0एस0 (कन्ट्रोल) आर्डर 2001
- (2) कैरोसीन (उपयोग पर निर्बंधन तथा अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993
- (3) एम0एस0एच0डी0 (प्रदाय तथा वितरण विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 1998
- (4) द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण विनियमन) आदेश 2000
- (5) द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटर यानों का उपयोग का विनियमन) आदेश 2001

(ब) म0प्र0 शासन के नियंत्रण आदेश :-

- (1) मध्यप्रदेश खाद्य पदार्थ (वितरण नियंत्रण) आदेश 1960
- (2) मध्यप्रदेश खाद्य पदार्थ (सार्वजनिक नागरिक पूर्ति) वितरण स्कीम 1991
- (3) मध्यप्रदेश कैरोसीन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 1979
- (4) मध्यप्रदेश एम0एस0एच0डी0 (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980
- (5) मध्यप्रदेश चॉवल उपार्जन (उदगृहण) आदेश 1970
- (6) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

जिला आपूर्ति कार्यालय में अभिलेखों/जानकारी का संधारण शाखा लिपिकों द्वारा किया गया है। अभिलेखों की प्रति शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर आवेदक निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र देकर प्राप्त कर सकते हैं।

पता :- कलेक्टर (आपूर्ति शाखा) सिवनी
दूरभाष क्रमांक :- 07692-223968
अनुभाग स्तर पर :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

बिन्दु क्रमांक 4 :-

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई

व्यवस्था का विवरण :-

नीति निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है कार्यान्वयन के लिये जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर शासकीय उचित मूल्य दूकान स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली सतर्कता/निगरानी समितियों का गठन शासनादेशों के अनुसार किया गया है। समितियों की बैठक नियमानुसार होती है। वर्तमान में समिति कार्यरत हैं।

बिन्दु क्रमांक 5 :-

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण :-

स0क्र0	प्रवर्ग	दस्तावेजों का नाम एवं पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारा नियंत्रण अधीन
1	2	3	4	5
1	लेखा/स्थापना	बजट आवंटन एवं वित्तीय कार्य	सूचना का अधिकार अधिनियम खण्ड के तहत	लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी एवं वरिष्ठ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मुख्यालय) के लिये नियंत्रणाधीन अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध है
2	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शाखा	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न, मिट्टी तेल का आवंटन एवं उठाव, मिट्टी तेल अनुज्ञप्ति जारी करना।	---	
3	शिकायत शाखा	आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दायर किये गये प्रकरण एवं प्राप्त समस्त शिकायतों का निराकरण	---	
4	लायसेंस शाखा	जिले में स्थापित डीजल/पैट्रोल पंपों की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं संबंधित समस्त कार्य जानकारी	---	
5	प्रेषक शाखा	आवक-जावक एवं भण्डारण, मुद्रण कार्य	---	

बिन्दु क्रमांक 6 :-

बोर्ड/परिषदों/समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण :-

जिला आपूर्ति कार्यालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के निर्देशों के तहत बिन्दु क्रमांक 5 में दर्शित अभिलेख एवं जानकारी संधारति है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रतिलिपि एवं जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक 7:-

लोक सूचना अधिकार के नाम, पद नाम एवं अन्य विशिष्टियाँ :-

लोक प्राधिकरण का नाम :- कार्यालय जिला आपूर्ति अधिकारी, सिवनी

सहायक सूचना अधिकारी,

स0क्र0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री एस0के0 तिवारी	सहायक आपूर्ति अधिकारी	07692	223968	मो0 9425447093	—	foodoffseo@mp.nic	कार्यालय कलेक्टर, खाद्य-शाखा सिवनी।

अनुविभागीय कार्यालय (राजस्व) स्तर

1	श्री एस0के0 तिवारी (जिला-स्तर)	सहायक आपूर्ति अधिकारी, सिवनी	07692	223968	मो0 9425447093	—	—	मुख्यालय सिवनी
2	श्री आर0के0 बंसोड़	सहायक आपूर्ति अधिकारी लखनादौन	07690	240122	मो0 9425446849	—	—	मुख्यालय लखनादौन
3	श्री मनोज पुराविया	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, लखनादौन, छपारा, धनौरा घंसौर	07693	280116	मो0 9425158629	—	—	मुख्यालय लखनादौन
4	श्रीमति सीमा बौरसिया	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिवनी / बरघाट	07692	223968	मो0 9827269945	—	—	मुख्यालय सिवनी
5	श्री देवेन्द्र कुमार खोबरिया	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिवनी केवलारी / कुरई	07692	223968	मो0 9926375770	—	—	मुख्यालय सिवनी

लोक सूचना अधिकारी,

स0 क्र0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री सुमन कुमार मिश्रा	जिला आपूर्ति अधिकारी	07692	223968	मो0 9827197620	—	foodoffseo@mp.nic.in	कार्यालय कलेक्टर, खाद्य-शाखा सिवनी।

विभागीय अपीलीय अॅथोरिटी

स०क्र०	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री पी० नरहरि	कलेक्टर, सिवनी	07692	223966	220301	220990	—	मुख्यालय सिवनी।

बिन्दु क्रमांक-8 :-

निर्णय लेने की प्रक्रिया

आवश्यक वस्तु अधिनियम 6 के तहत एवं मध्यप्रदेश खाद्य पदार्थ सार्वजनिक पूर्ति वितरण स्कीम 1991 की कंडिका 13 के तहत प्रक्रिया स्पष्ट की गई है :-

सरल क्रमांक	---
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।)	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
दिशा निर्देश (यदि हो तों)	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं म०प्र० खाद्य पदार्थ सार्वजनिक पूर्ति वितरण स्कीम 1991 की कंडिका 13 के तहत।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	कलेक्टर, सिवनी।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	जिला आपूर्ति अधिकारी, सिवनी।
निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें।	(1) आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर। (2) आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म०प्र० भोपाल।

अधिकारियों और कर्मचारी की निर्देशिका

स0 क्र0	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री सुमन कुमार मिश्रा	जिला आपूर्ति अधिकारी सिवनी	07692	223968	मो0 9425447093	—	Foodoffseo @mp.nic.in	कार्यालय कलेक्टर, खाद्य-शाखा सिवनी।
2	श्री एस0के0 तिवारी	सहायक आपूर्ति अधिकारी, सिवनी	07692	223968	मो0 9425447093	—	Foodoffseo @mp.nic.in	कार्यालय कलेक्टर, खाद्य-शाखा सिवनी।
3	श्री आर0के0बंसोड़	सहायक आपूर्ति अधिकारी लखनादौन	07690	240122	मो0 9425446849	—	—	मुख्यालय लखनादौन
4	श्री मनोज पुराविया	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लखनादौन / घंसौर / छपारा / धनौरा	07693	280116	मो0 9425158629	—	—	मुख्यालय लखनादौन
5	श्रीमति सीमा बौरसिया	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिवनी / बरघाट	07692	223968	मो0 9828269945	—	—	मुख्यालय सिवनी
6	श्री देवेन्द्र कुमार खोबरिया	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिवनी / केवलारी / कुरई	07692	223968	मो0 9926375770	—	—	मुख्यालय सिवनी
7	श्री शिव नारायण डहेरिया	सहा0ग्रेट-2 लेखापाल खाद्य-शाखा	07692	223968	मो0 9425175294	—	—	मुख्यालय सिवनी
8	श्री ध्यानसिंह सरयाम	सहा0ग्रेट-2 लायसेंस शाखा	07692	223968	9754536762	—	—	मुख्यालय सिवनी
9	श्रीमति केशर उइके	सहा0ग्रेट-2 शिकायत शाखा	07692	223968	9424966964	—	—	मुख्यालय सिवनी
10	श्रीमति अनीता दुबे	सहा0ग्रेट-3 पी0डी0एस0 शाखा	07692	223968	9424929994	—	—	मुख्यालय सिवनी
11	श्रीमति गीता दीक्षित	सहा0ग्रेट-3 आवक-जावक शाखा	07692	223968	9993705727	—	—	मुख्यालय सिवनी
12	श्री राघवेन्द्र तिवारी	भृत्य	07692	223968	—	—	—	मुख्यालय सिवनी
13	श्री सुभाष यादव	---	07692	223968	—	—	—	मुख्यालय सिवनी
14	श्री रमेश बर्मन	---	07692	223968	—	—	—	मुख्यालय सिवनी

बिन्दु क्रमांक 10 :-**प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति: -**

आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त वार्षिक आवंटन अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को मासिक वेतन एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान जिला कोषालय के माध्यम से संबंधित बैंक में स्थित खातों में जमा करा कर किया जाता है।

क्र० स०	अधिकारी/कर्मचारी नाम	का	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक माह 2/08	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दर्ज की गई है।
1	2		3	4	5	6
1	श्री सुमन कुमार मिश्रा		आपूर्ति अधिकारी सिवनी	20,360=00	-	म०प्र० शासन से प्राप्त आदेश /निर्देशों के तहत एवं संबंधितों के सेवा शर्तों के अधीन
2	श्री एस०के०तिवारी		सहायक आपूर्ति अधिकारी	15,531=00	-	---
3	श्री आर०के० बंसोड़		सहायक आपूर्ति अधिकारी	15,344=00	-	---
4	श्री मनोज पुराविया		कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	12,089=00	-	---
5	श्रीमति सीमा बौरसिया		---	12,160=00	-	---
6	श्री देवेन्द्र कुमार खोबरिया		---	12,160=00	-	---
7	श्री एस०एन० डहेरिया		सहा०ग्रेड-2/लेखापाल	15,003=00	-	---
8	श्री ध्यानसिंह सरयाम		सहायक ग्रेड-2	13,026=00	-	---
9	श्रीमति केशर उइके		---	12,980=00	-	---
10	श्रीमति अनीता दुबे,		सहायक ग्रेड-3	12,776=00	-	---
11	श्रीमति गीता दीक्षित		---	9671=00	-	---
12	श्री राघवेन्द्र तिवारी		भृत्य	9721=00	-	---
13	श्री सुभाष यादव		---	8564=00	-	---
14	श्री रमेश बर्मन		---	8564=00	-	---

टीप :- माह दिसम्बर,08 पेड जनवरी, 09 के मासिक पेबिल अनुसार एवं विस्तृत जानकारी जिला कोषालय, सिवनी के कम्प्यूटर में दर्ज है।

बिन्दु क्रमांक 11:- प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट अन्य लोक प्राधिकरणों के लिये :-

स०क्र०	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किस्तों में)	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1	मॉग संख्या 39 मुख्य शीर्ष 2408, 4408	47,76,000=00	47,76,000=00	47,76,000=00	42,29,870=00
कुल योग :-		47,76,000=00	47,76,000=00	47,76,000=00	42,29,870=00

बिन्दु क्रमांक 12

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति :- जानकारी निरंक है।

बिन्दु क्रमांक 13:-

रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा पाधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं के संबंध में ब्यौरा :- जानकारी निरंक है।

बिन्दु क्रमांक 14:- कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम :-

(अ) केन्द्रीय शासन के नियंत्रण आदेश :-

- (1) पी0डी0एस0 (कन्ट्रोल) आर्डर 2001
- (2) कैरोसीन (उपयोग पर निर्बंधन तथा अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993
- (3) एम0एस0एच0डी0 (प्रदाय तथा वितरण विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 1998
- (4) द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण विनियमन) आदेश 2000
- (5) द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटर यानों का उपयोग का विनियमन) आदेश 2001

(ब) म0प्र0 शासन के नियंत्रण आदेश :-

- (1) मध्यप्रदेश खाद्य पदार्थ (वितरण नियंत्रण) आदेश 1960
- (2) मध्यप्रदेश खाद्य पदार्थ (सार्वजनिक नागरिक पूर्ति) वितरण स्कीम 1991
- (3) मध्यप्रदेश कैरोसीन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 1979
- (4) मध्यप्रदेश एम0एस0एच0डी0 (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980
- (5) मध्यप्रदेश चॉवल उपार्जन (उदगृहण) आदेश 1970
- (6) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

बिन्दु क्रमांक 15:-

इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं :-

शासन द्वारा संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न/शक्कर/मिट्टीतेल का प्राप्त आवंटन /उठाव/वितरण की साप्ताहिक एवं मासिक जानकारी के फार्मेट अनुसार उपलब्ध कराई जाती है।

बिन्दु क्रमांक 16 :-

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :-

सूचना के अधिकारों के अन्तर्गत अखबारों के द्वारा, सूचना पटल, अभिलेखों का निरीक्षण, उपलब्ध विभागीय मन्युअल, दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

बिन्दु क्रमांक 17 :-

अन्य उपयोगी जानकारी :-

(1) जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत जिला में 28 डीज़ल/पेट्रोल पंप, 5 कैरोसीन एवं 6 गैस डीलर्स, 6 सेमी होलसेलर्स कार्यरत हैं। सिवनी शहर में 28 हाकरों के माध्यम से निर्धारित स्थलों में फ्रीसेल के माध्यम से कैरोसीन वितरण आम जनता को किया जाता है। विस्तृत जानकारी खाद्य कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(2) जिला में 374 शासकीय उचित मूल्य दूकाने कार्यरत हैं। इस हेतु शासन से खाद्यान्न, शक्कर, का मासिक आवंटन प्राप्त होता है। जिसका मध्यप्रदेश स्टेट नागरिक आपूर्ति निगम से लीड समितियों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त कर शासकीय उचित मूल्य दूकानों को वितरण के लिये दिया जाता है। उक्त जानकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित सिवनी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी स्थानीय लीड एवं लिंक समितियों से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

जिला आपूर्ति अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
सिवनी